

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम स्वचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB GURGAON Year (वर्ष): 2018
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0008 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 28/06/2018 00:21 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा)
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	9
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	8
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
4	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(d)(iii)
5	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(d)(ii)
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(c)
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(b)
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(a)
9	IPC 1860	383
10	IPC 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन):	Date from (दिनांक से):	Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि):	Time From (समय से):	Time To (समय तक):
(b) Information received at P.S. (थाना जहां स्वचना पाप्त हुई):	Date (दिनांक): 27/06/2018	Time (समय): 00:00 hrs
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):	Entry No. (प्रविष्टि सं.): 016	Date and Time (दिनांक और समय): 27/06/2018 15:15 hrs

4. Type of Information (स्वचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 65 Km(s)
(b) Address (पता): ज़िला रेवाड़ी,
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): सुभाष चन्द्र
(b) Father's Name (पिताका नाम): विश्वन लाल
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1983
(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)

ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.) Address Type (पता का प्रकार)

Address (पता)

1 Present Address

7051, मौहल्ला बल्लूवाड़ा, REWARI CITY, REWARI, HARYANA, INDIA

2 Permanent Address

7051, मौहल्ला बल्लूवाड़ा, REWARI CITY, REWARI, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अधियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
------------------	------------	---------------	------------------------------------	------------------------------

1 वर्षा यादव ए एफ एस औ

Husband's Name: गोकल चंद 1. सैनिक रैस्ट हाऊस, REWARI CITY, REWARI, HARYANA, INDIA

2 गोकल चंद

Father's Name: बलबीर सिंह 1. सैनिक रैस्ट हाऊस, REWARI CITY, REWARI, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देनी से दर्ज करने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबंधित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति के श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(in Rs/-) (मूल्य (रु में))
------------------	----------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, प्रबन्धक अफसर थाना राज्य चौकसी द्वयो गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम , श्री मानजी, निवेदन है कि यह शिकायत श्रीमान महानिटेशक राठ चौं ब्यू० हरिं० पंचकुला के कार्यालय के यादि क्रमांक 538/शिकायत/155/गुरुग्राम /2017 दिनांक 11.1.2018 से कार्यालय में दर्ज रजिस्टर की जाकर प्राप्त हुई थी जिसकी जाच निरीक्षक ओम प्रकाश राठ ० चौं ब्यू० रेवाड़ी यूनिट द्वारा अमल में लाई गई थी। जिसमें आरोप थे कि ए.एफ.एस.ओ. रेवाड़ी श्रीमति वर्षा यादव द्वारा श्रीमति सरला देवी सेनी के राशन वितरण करने के लाईसेंस फार्म को ५ माह आपने पास बिना वजह पैदिंग रखा तथा इसी दौराने ए.एफ.एस.ओ. रेवाड़ी वर्षा यादव ने शिकायतकर्ता सुभाष चन्द्र पुरुष श्री किलान लाल निवासी मकान नं 7051 मोहल्ला बलत्वाड़ा रेवाड़ी को अपने पति गोकल चंद से बिलने को कहा तथा गोकल चंद ने कई बार बुलाया इसी दौरान गोकल चंद ने रिशबत की मांग भी की थी। फिर शिकायतकर्ता की पत्नी श्रीमति सरला देवी सेनी की फाईल पर बिन्दुओं की रिपोर्ट कर दी गई। जांच के दौरान पाया गया था कि ए.एफ.एस.ओ. रेवाड़ी वर्षा यादव श्रीमति सरला सेनी वाड़ नं 15 द्वारा राशन वितरण करने के लाईसेंस के फार्म को ४ माह ११ दि अपने पास रखकर अपने पद का दुरुपयोग किया जाना पाया गया। इसलिए श्रीमति वर्षा यादव के खिलाफ विभागीय कार्यवाही कि जाने तथा इसका स्थानांतरण रेवाड़ी से अन्य जिला के कराने जाने वारे सरकार को तथा ए.एफ.एस.ओ. वर्षा यादव के पति गोकल चंद पुरुष बलबीर सिंह मकान नं 2963/4 विपरीत सैनिक रेस्ट हाऊस रेवाड़ी द्वारा प्राईवेट व्यक्ति होते हुए सरकारी कार्यालय के पत्र स्वयम विद्यकर व रिकार्डिंग के अनुचान अनुसार शिकायतकर्ता व डिपो होल्डर द्वाव बनाकर रिशबत लेने की बात समित होने पर गोकल चंद प्राईवेट व्यक्ति होने के कारण डिपो होल्डर व शिकायतकर्ता पर द्वाव बनाकर रिशबत लेने के आरोप वारे कार्यवाही करने के लिए स्थानांय जिला पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी की लिखे जाने का सुझाव दिया गया था। जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राठ ०३०८० गुरुग्राम के पत्र क्रमांक नं 138/ए-१/१० चौं ब्यू० गुरुग्राम दिनांक 1.3.18 के अनुसार ७,८,९,१३(१) A B C D (II), D(III) PC ACT तथा 383, 120वीं आई पी.सी. के तहत अभियोग अंकित करने का सुझाव देकर एस.बी.बी. मुख्यालय पंचकुला भेजा गया था। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव चौकसी विभाग के पत्र क्रमांक नं 55/11/18-३ चौकसी(II) दि. एवम महानिटेशक राठ ०३० ब्यू० पंचकुला के पत्र क्रमांक नं 6472/आई-२/एस.बी.बी. (एच) दिनांक 15.5.2018 के अनुसार श्रीमति वर्षा यादव ए.एफ.एस.ओ. रेवाड़ी व उसके पति गोकल चंद निवासी रेवाड़ी के विरुद्ध धारा ७,८,९,१३(१) A B C D (II), D(III) PC ACT के 383/120वीं आई पी.सी. की धाराओंके तहत अभियोग अंकित करने का आदेश हुए हैं जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक राठ ०३०८० ब्यू० गुरुग्राम के अदेशअनुसार मन निरीक्षक द्वारा मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर तैयार करके बराए कायमी मुकदमा भेजी जा रही हैं तफतीश के दौरान किसी अन्य सरकारी कर्मचारी एवम प्राईवेट व्यक्ति की सलतिपत्ता पाई जाए तो उसको भी देख लिया जाए। बाद कायमी मुकदमा नं २० मुकदमा से सुचित किया जावे स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट व अफसरानावाला को भिजवाई जावे। नकल निसल पुलिस मय असल तहरीर तपतीश हेतु सम्बन्धित बो भिजवाई जावे। अज- कार्यालय SVB UNIT REWARI VINOD KUMAR निरीक्षक विनोद कुमार राज्य चौकसी द्वयो उपकर्णद रेवाड़ी । DT - 27.6.18 AT 1.20 PM अज थाना - अमदा तहरीर पर मुकदमा हजा वा जुर्म मजकूर दर्ज रजिस्टर किया गया FIR की प्रतार प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई। जो सेवा मे इलाका मजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाल को नियमानुसार भेजी जायेही एक प्रति FIR बतौर स्पेशल रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट साहब गुरुग्राम बदसित अरिनदा ASI अंजुन सिंह नं 240/रेवाड़ी के भेजी जा रही हैं असल निसल पुलिस मय आमदा तहरीर निरीक्षक विनोद कुमार राठ ० चौं ब्यू० उप केन्द्र रेवाड़ी के पास भेजी जा रही है। आईन्दा ASI अंजुन सिंह नं 240/रेवाड़ी के हवाले की गई। नोट- श्री मान जी, CCTNS से तकनीकी खराकी के कारण CCTNS मे प० स० रे० के हालात दर्ज नहीं किये गये और ना ही रपत दर्ज कि गई अत अब CCTNS चालू होने पर प० स० रिपोर्ट की रपत दर्ज की गई है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चौकिं उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. २ मे उल्लेख धारा के तहत है):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया); / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): vinod kumar Rank (पद): । (Inspector)
- No. (सं.): 1787 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इकार किया गया)
- (4) Transferred to P.S. (शाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राप्तिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक काँपी निश्चलक शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (धाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Haryana Police (हरियाणा पुलिस)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-1)

Name (नाम): ASHISH CHAUDHARY

Rank (पद): Dy SP (Deputy Superintendent of Police)

No. (सं.):

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर
/अंगठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद्द 7 संलग्न):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि जात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग) / वर्षी	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि)	Build (बनावट)	Height (cms) (कंट (सेमी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
---------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------	----------------------------------	------------------	--------------------------------------

1	Female	1962				7
---	--------	------	--	--	--	---

Is Proxitted: Yes

2	Male	1959				7
---	------	------	--	--	--	---

Is Proxitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें) (विकृतियाँ)	Habit(s)(आदतें) (पहनाव)	Dress Habit (s) (पहनाव)
----------------------------------------------------------	--------------	------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

8	9	10	11	12	13
---	---	----	----	----	----

Language/Dialect
(भाषा/बोली)

Place of (का स्थान)

Others (अन्य)

Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोडेर्मा(सफेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (धाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
---------------------------------	-------------------------------------------	--------------	------------	----------------------	--

14	15	16	17	18	19	20
----	----	----	----	----	----	----

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)